

उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,
संख्या-26/2023/1567/94-स्टा0नि0-2-2023-700(91)/2023
लखनऊ, दिनांक : 22 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या-16, सन् 1908) की धारा-78-क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के अधीन, फ़ारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफ़0डी0आई0) एवं फ़ार्च्यून-500 नीति, 2023 के प्रस्तर 15 के उपबंधों के अनुसार उक्त नीति के प्रस्तर-9(क) में यथावर्णित पात्र परियोजनाओं (वैश्विक एवं भारतीय) हेतु नीचे अनुसूची के स्तम्भ-4 में दर्शित लिखत के सम्बन्ध में प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क में, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा तक छूट प्रदान करती हैं-

अनुसूची

फ़ारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फ़ार्च्यून-500 नीति, 2023	विवरण तथा ब्यौरे	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
प्रस्तर-15	नीति में यथा वर्णित पात्र परियोजनाओं (वैश्विक एवं भारतीय) के लिए भूमि क्रय करने अथवा लीज पर लेने पर- (राज्य में कहीं भी)	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड-(क) के अधीन हस्तान्तरण एवं अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा

परन्तु यह कि इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

- 1- इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी उपलब्ध होगी, यदि सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लिखत पर यह पुष्टि करे कि विलेख का निष्पादन फ़ारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फ़ार्च्यून-500 नीति, 2023 के अधीन किया जा रहा है और उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में वह हस्ताक्षर भी करेगा।
- 2- रजिस्ट्रीकरण शुल्क छूट के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति, ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बैंक प्रत्याभूति की विधिमान्यता अवधि अन्यून 5 वर्ष होनी चाहिये।
- 3- इस अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध पूर्वोक्त नीति के प्रारम्भ के सम्बंध में अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आई0आई0डी0सी0) के शासनादेश संख्या-54/2023/3452/77-6-2023-02 (एम)/2022, दिनांक 01-11-2023 के जारी किये जाने के दिनांक से 5 वर्ष तक प्रवृत्त रहेंगे। यदि किन्ही कारणों से पूर्वोक्त नीति निरस्त की जाती है तो इस अधिसूचना के अधीन छूट उक्त नीति के प्रत्याहरण के दिनांक से स्वतः प्रतिसंहत समझी जायेगी।
- 4- स्टाम्प शुल्क छूट को आच्छादित करने वाले बैंक प्रत्याभूति के नियम व प्रक्रिया, रजिस्ट्रीकरण शुल्क छूट से संबंधी बैंक प्रत्याभूति पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या-26/2023/1567(1)/94-स्टा0नि0-2-2023, तददिनांक।

हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता

विशेष सचिव।

संख्या-26/2023/1567(2)/94-स्टा0नि0-2-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार महालेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 5- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह

अनु सचिव।

<http://shasana>

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no. **26/2023/1567/94-S.R.-2-2023-700(91)/2023** dated **22** December, 2023

**Notification
Order**

No. **26/2023/1567/94-S.R.-2-2023-700(91)/2023**
Lucknow, Dated : **22** December, 2023

In exercise of the powers under section 78-A of the Registration Act , 1908 (Act no.16 of 1908) as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit the registration fee, under this notification, chargeable in respect of the instrument shown in Column-4 of the Schedule below in accordance with the provisions of para 15 of the Foreign Direct Investment (FDI) and Fortune - 500 Policy, 2023, to the eligible projects (Global and Indian) as described in para 9(A) of the said Policy, to the extent mentioned in Column- 3 of the Schedule below:-

SCHEDULE

Foreign Direct Investment and Fortune 500 Policy, 2023	Descriptions and Details	Extent of Remission	Nature of Instruments
1	2	3	4
Para-15	To the eligible projects (Global and Indian) as described in the Policy on the purchase or lease of the land (anywhere in the State)	100%	Conveyance under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35 of the Schedule 1(B), Indian Stamp Act, 1899

The aforesaid exemption under this notification shall be subject to the following conditions :-

- 1-** The exemption of the notification shall be available if the District Magistrate or the General Manager, District Industries Centre, of the concerned district shall confirm in the instrument that the deed is being executed under the Foreign Direct Investment (FDI) and Fortune 500 Policy, 2023, and also sign as a witness for the said purpose.
- 2-** Irrevocable Bank Guarantee of the amount equivalent to the remission of registration fee in favour of the District Magistrate of the concerned district shall be presented before the registration at the time of the registration of such deed. The validity period of the bank guarantee should not be less than 5 years.

- 3- The provisions mentioned in this notification will remain in force for 5 years from the date of the issuance of G.O. no. 54/2023/3452/77-6-2023-02(m)/2022 dated 01-11-2023 of the Infrastructure and Industrial Development Commissioner (IIDC), regarding the commencement of the aforesaid policy. In case the aforesaid policy comes to end, by any means, the remittance under this notification shall be considered to be revoked by itself from the date of the withdrawal of the said policy.
- 4- Rules and procedure of Bank Guarantee covering stamp duty exemption shall apply mutatis mutandis to the Bank Guarantee covering registration fee exemption.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,
संख्या-25/2023/1566/94-स्टा0नि0-2-2023-700(91)/2023
लखनऊ, दिनांक 22 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के अधीन, फ़ारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफ़0डी0आई0) एवं फार्च्यून-500 नीति, 2023 के प्रस्तर 15 के उपबंधों के अनुसार उक्त नीति के प्रस्तर-9(क) में यथावर्णित पात्र परियोजनाओं (वैश्विक एवं भारतीय) हेतु नीचे अनुसूची के स्तम्भ-4 में दर्शित लिखत के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा तक छूट प्रदान करती हैं-

अनुसूची

फ़ारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फार्च्यून-500 नीति, 2023	विवरण एवं ब्यौरे	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
प्रस्तर-15	नीति में यथा वर्णित पात्र परियोजनाओं (वैश्विक एवं भारतीय) के लिए भूमि क्रय करने अथवा लीज पर लेने पर- (क) पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड में (ख) मध्यांचल तथा पश्चिमांचल में (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिला को छोड़कर) (ग) गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिला में	100% 75% 50%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड-(क) के अधीन हस्तान्तरण एवं अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

- 1- इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी उपलब्ध होगी, यदि सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लिखत पर यह पुष्टि करे कि विलेख का निष्पादन फ़ारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फार्च्यून-500 नीति, 2023 के अधीन किया जा रहा है और उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में वह हस्ताक्षर भी करेगा।
- 2- स्टाम्प शुल्क छूट के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति, ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बैंक प्रत्याभूति की विधिमान्यता अवधि अन्यून 5 वर्ष होनी चाहिये।
- 3- इस अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध पूर्वोक्त नीति के प्रारम्भ के सम्बंध में अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आई0आई0डी0सी0) के शासनादेश संख्या-54/2023/3452/77-6-2023-02 (एम) /2022, दिनांक 01-11-2023 के जारी किये जाने के दिनांक से 5 वर्ष तक प्रवृत्त रहेंगे। यदि किन्ही कारणों से पूर्वोक्त नीति निरस्त की जाती है तो इस अधिसूचना के अधीन छूट उक्त नीति के प्रत्याहरण के दिनांक से स्वतः प्रतिसंहत समझी जायेगी।
- 4- अधिसूचित उपबन्धों का क्रियान्वयन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 31-3-2023 तथा आई0आई0डी0सी0 के शासनादेश दिनांक 20-11-2023 के विद्यमान प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-25/2023/1566(1)/94-स्टा0नि0-2-2023, तददिनांक।

हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या-25/2023/1566(2)/94-स्टा0नि0-2-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार महालेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 5- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

<http://shasna.gov.in>

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no. **25/2023/1566/94-S.R.-2-2023-700(91)/2023** dated **22** December, 2023

Notification

Order

No. **25/2023/1566/94-S.R.-2-2023-700(91)/2023**

Lucknow, Dated : **22** December, 2023

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit the stamp duty, under this notification, chargeable in respect of the instrument shown in Column-4 of the Schedule below, in accordance with the provisions of para 15 of the Foreign Direct Investment (FDI) and Fortune 500 Policy, 2023, to the eligible projects (Global and Indian) as described in para 9(A) of the said policy, to the extent mentioned in Column-3 of the Schedule below:-

SCHEDULE

Foreign Direct Investment and Fortune 500 policy-2023	Descriptions and Details	Extent of Remission	Nature of Instruments
1	2	3	4
Para-15	To the eligible projects(Global and Indian) as described in the policy on the purchase or lease of the land - (A) In Purvanchal and Bundelkhand (B) In Madhyanchal and Paschimanchal (except Gautam Buddh Nagar and Ghaziabad districts) (C)Gautam Buddh Nagar and Ghaziabad districts	100% 75% 50%	Conveyance under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35 of the Schedule 1(B), Indian Stamp Act, 1899

The aforesaid exemption under this notification shall be subject to the following conditions:-

- 1- The exemption of the notification shall be available if the District Magistrate or the General Manager, District Industries Centre, of the concerned district shall confirm in the instrument that the deed is being executed under the Foreign Direct Investment (FDI) and fortune 500 policy-2023, and also sign as a witness for the said purpose.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 2- Irrevocable Bank Guarantee of the amount equivalent to the remission of stamp duty in favour of the District Magistrate of the concerned district shall be presented before the registration at the time of the registration of such deed. The validity period of the bank guarantee should not be less than 5 years.
- 3- The provisions mentioned in this notification will remain in force for 5 years from the date of the issuance of G.O. no. 54/2023/3452/77-6-2023-02(m)/2022 dated 01-11-2023 of the Infrastructure and Industrial Development Commissioner (IIDC), regarding the commencement of the aforesaid policy. In case the aforesaid policy comes to end, by any means, the remittance under this notification shall be considered to be revoked by itself from the date of the withdrawal of the said policy.
- 4- The implementation of the notified provisions shall be done according to the extant procedural guidelines of the G.O. dated 31-03-2023 and G.O. dated 20-11-2023 issued by the Stamp and Registration Department and IIDC respectively.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.